कार्यालय सेवा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम,
मेरठ–क्षेत्र, मेरठ।

पत्र संख्या 459 /से0प्र0/जी–कार/2020 दिनांक 12-03-2020

:: विज्ञप्ति ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रबन्ध निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 5990 दिनांक 03.02.2012 एवं निगम मुख्यालय, लखनऊ के आदेश संख्या 6776 दिनांक 03.04.2012 के अनुपालन में मेरठ–क्षेत्र में एक टैक्सी सूमो/बुलेरो/इसके समकक्ष अन्य छोटी वाहन (टैक्सी) की आवश्यंकता है, जो निम्न अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जायेगीः–

सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मेरठ।

टैक्सी की अनुबन्ध की शर्ते निम्नवत् होगीः–

1 निविदाकर्ता द्वारा टाटा सूमो/महिन्द्रा, बुलेरो अथवा इसके समकक्ष अच्छी दशा की वाहन उपलब्ध करानी होगी।

2 वाहन का अनुबन्धन तीन वर्ष के लिये किया जायेगा। कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध का विस्तार आपसी सहमति से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा आगामी दो वर्ष के लिये किया जा सकता है।

3 अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु अधिकतम 5 वर्ष (कमीशन तिथि से) की होगी।

4 वाहन टैक्सी परमिट से भी आच्छादित होगी।

5 वाहन का मासिक कि0मी0 2000 पर मासिक भुगतान रू0 32,000.00 देय होगा।

6 वाहन में प्रयुक्त ईंधन, चालक, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोडटैक्स, फिटनेस, परमिट जीएसटी एवं अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेगें।

7 वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर कोई वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।

8 निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

9 वाहन का माइलोमीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिये।

10 निविदाकर्ता द्वारा सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण, आवासीय पता, फोन/मोबाइल नम्बर तथा चालक के ड्राईविंग लाइसेन्स की प्रमाणित फोटो प्रति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

11 निविदाकर्ता द्वारा लगायी गयी वाहन के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर निविदाकर्ता द्वारा दूसरा वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

.......2 पर

Downloaded from www.upsrtc.com

12 प्रयुक्त बिल की धनराशि से नियमानुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती कर काटे गये आयकर/जीएसटी सरचार्ज की धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाना होगा।

13 वाहन के अनुबन्धन के समय निविदाकर्ता को प्रतिभूति रू0 5000.00 जमा करनी होगी।

टेण्डर डालने की अन्तिम तिथि/समयः–	23.03.2020 अपरान्ह 14.00 बजे तक
टेण्डर खोलने की तिथि/समयः–	23.03.2020 अपरान्ह 15.00 बजे
टेण्डर फीसः–	रू0 200.00+18 प्रतिशत जीएसटी = रू0 236.00

जो निविदाकर्ता ऑन लाईन निविदा डालते है उनको टेण्डर/निविदा फीस रू0 236.00 टेण्डर/निविदा खोलने की तिथि से पूर्व कार्यालय सेवा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ में जमा करना अनिवार्य होगा।

संलग्नः–निविदा फार्म

(एस0एल0शर्मा),
सेवा प्रबन्धक,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
2 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), मेरठ/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ डिपो/भैसाली डिपो/सोहराब गेट डिपो/गढ़मुक्तेश्वर डिपो/बड़ौत डिपो।
3 सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को email id tende upsrtc.com के माध्यम से इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त को निगम की वैब साईट www.upsrtc.com पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
4 नोटिस बोर्ड, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, मेरठ/सेवा प्रबन्धक, मेरठ।
5 नोटिस बोर्ड बस स्टेशन, मेरठ डिपो/भैसाली डिपो/सोहराब गेट डिपो/ गढ़मुक्तेश्वर डिपो/बड़ौत डिपो।
6 ई–टैण्डर द्वारा

सेवा प्रबन्धक,
मेरठ।

Downloaded from www.upsrtc.com

निविदा शुल्क रू0 236

निविदा फार्म

1 निविदा दाता का नामः–

2 निविदा दाता के पिता/पति का नामः–

3 निविदा दाता का स्थाई पताः–

4 निविदा दाता का वर्तमान पताः–

5 निविदा दाता का मोबाईल नम्बरः–

6 निविदा दाता का आधार नम्बरः–

7 निविदा दाता का पैन नम्बरः–

8 वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बरः–

9 वाहन का मेक/मॉडलः–

10 वाहन की कमीशन तिथिः–

11 वाहन के बीमे की वैधता तिथिः–

12 वाहन का टैक्सी परमिट संख्याः–

13 वाहन की फिटनैस की वैधताः–

14 वाहन के टैक्स सम्बन्धी विवरणः–

(सभी प्रपत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करें)

निविदा दाता के हस्ताक्षर

Downloaded from www.upsrtc.com